न्यायालयः–अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)
पीठासीन अधिकारीः–कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 104/2017 दायरा दिनांक: 01.08.2017 GCMS CASE NO- 2017/00129

सुभाष पुत्र रूपराम जाति जाट साकिन अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़
–प्रार्थी

बनाम

1. शरबती पत्नी सुरजाराम जाति जाट साकिन अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ (फौत)
2. बलवंत पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़
3. राजाराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़
4. कालूराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़
5. सीतादेवी पत्नी श्यामसुन्दर जाति सैनी साकिन वार्ड न. 35 सूरतगढ़
6. विकेश कुमार पुत्र रामकुमार जाति जाट सकिन कॅवरपुरा तहसील रायसिंहनगर
7. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज
8. संदीप कुमार पुत्र कृष्णलाल जाति जाट नि. 2 एच द्वितीय मदेरा तहसील श्रीगंगानगर
9. बिट्टू पुत्र कृष्णलाल जाति जाट नि. 2 एच द्वितीय मदेरा तहसील श्रीगंगानगर

–अप्रार्थीगण

शिकायत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) आवंटन नियम 1970 व धारा 11, 14 उपनिवेशन अधिनियम

उपस्थितः–
1. श्री शिशपाल शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री राकेश कुमार मनचन्दा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 ता 6, 8, 9
3. पैरोकार राज, अप्रार्थी संख्या 7

:: निर्णय :: दिनांकः–28 /01/2025

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा यह शिकायत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 की सास व 2 ता 4 की दादी नौरां पत्नी नत्थुराम व पिता सुरजाराम के नाम से चक 38 पीबीएन के पत्थर न. 56/376 में 9.00 बीघा व पत्थर न. 56/377 में 25.00 बीघा व पत्थर न. 55/377 में 16.00 बीघा इस प्रकार कुल 50.00 बीघा रकबा नाली द्वितीय खातेदारी भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने के पश्चात की खातेदारी थी व इसी भूमि में रहते हुए अप्रार्थी संख्या 1 के पति व अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के पिता सुरजाराम को रोही अमरपुरा के खसरा न. 151 में 6.06 बीघा व खसरा न. 161/2 में 6.00 बीघा रकबा टीसी से पुख्ता आवंटन होकर दिनांक 14.07.1992 को खातेदारी सनद जारी होकर इस रकबा का खातेदारी इंतकाल संख्या 279 सुरजाराम के नाम दर्ज हुआ। यह रकबा रोही अमरपुरा जाटान का रकबा नाली सिंचित है। नौरा देवी ने चक 38 पीबीएन के रकबा मे से 21.00 बीघा नाली रकबा कालूराम आदि को दिनांक 13.11.1978 को व 16.00 बीघा रकबा सन 1975 मे व 12.00 बीघा रकबा सन 1985 में रूपराम वल्द बीरबल को बैचान कर दिया। सुरजाराम ने अपने नाम के रोही अमरपुरा जाटान के खसरा न. 161/2 के 6.00 बीघा रकबा को रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 19.10.1992 को इन्द्र कुमार पुत्र छगनलाल कोठारी साकिन सूरतगढ़ को बैय कर दिया जिसका इंतकाल संख्या 291 खरीददार के नाम दर्ज हो गया व खसरा न. 151 [illegible] बीघा रकबा तो दिनांक 15.03.1993 को 18.00 बीघा रकबा दिनांक 05.02[illegible] इस प्रकार इस खसरान न. 151 का तमाम 6.06 बीघा रकबा [illegible] कर दिया जिसका इंतकाल 303 व 334 खरीददार के नाम दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 ने राजस्व कर्मियों से मिल–जुलकर गिरदावरियों में काट–छांट करवाकर पहले तो आवंटन पत्रावली [illegible] अधिकारी एवं आवंटन अधिकारी सूरतगढ़ से अपने नाम रोही अमरपुरा के खसरा न. [illegible] में

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2025.02.03 12:51:16 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

25.00 बीघा रकबा दिनांक 14.09.2007 को पुख्ता आंवटन करवा लिया व तत्पश्चात् अपने ही प्रार्थना पत्र पर 6 माह बाद आंवटन अधिकारी सूरतगढ़ से दिनांक 27.03.2008 को यह आंवटन निरस्त करवा लिया व अब श्रीमान् तहसीलदार भू अभिलेख सूरतगढ़ व पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का से मिल जुल कर दिनांक 19.04. 2017 को पत्रावली नं. 20/2017 में रोही अमरपुरा जाटान के खसरा नं. 153 के 6.325 हैक्. रकबा के खातेदारी अधिकार सरकार से धोखा घड़ी व सही तथ्य छुपाकर व बिना कब्जे प्राप्त कर लिये है। अप्रार्थीगण जो कि अपने आप को नोरा पत्नी नत्थूराम के पुत्रवधु व पौत्र बता रहे है तथा जैर प्रकरण रकबा खातेदारी करवाया है यह रकबा नोरा पत्नी नत्थूराम को आज तक कभी टी.सी. आंवटन ही नही हुआ। टी.सी. आंवटन नियम 1955 में योग्य काश्तकार को आंवटन कमेटी का गठन होने पर आंवटन कमेटी की राय से ही आंवटन होता है। टी.सी. आंवटन करवाने वाला काश्तकार भूमिहीन काश्तकार होना चाहिए जबकि अप्रार्थी नं. 1 ता 4 की दादी नोरा के पति नत्थूराम के नाम से चक 38 पी.बी.एन. में 50.00 बीघा नाली द्वितीय खातेदारी रकबा था इसलिए नोरा आंवटन की ही पात्र नही थी। नोरा के नाम कोई आंवटन पत्रावली ही नही है। नोरा के रकबा आंवटन का आवेदन पत्र ही नही है व नोरा को आंवटन कमेटी ने कोई आंवटन ही नही किया इसलिए भी खातेदारी अधिकार निरस्ती योग्य है। अप्रार्थीगण ने मातहत न्यायालय से सही तथ्यो को छुपाकर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये है। सही बात यह है कि नोरा को ना तो रोही अमरपुरा के खसरा नं. 153 में 25.00 बीघा रकबा टी.सी. आंवटन है व ना ही यह टी.सी. नवीनीकरण हुआ। अप्रार्थीगण व उनका परिवार बहुत ही चलाक व चतुर है इन्होने पहले गोरा पत्नी प्रेमसुख की पत्रावली के सहारे अपने आपको रोही अमरपुरा के खसरा नं. 239 के 25.00 बीघा टी. सी. आंवटी बता करके यह रकबा आंवटन करवाया है। तत्कालिन पटवारी हल्का व गिरदावर व तहसीलदार सूरतगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार आंवटीयो का खसरा नं. 239 के रकबा पर कब्जा दर्शाया है व अब 10 साल बाद खसरा नं. 153 पर कब्जा मानकर खातेदारी अधिकार दिये है जबकि अप्राथीगण का रोही अमरपुरा जाटान के खसरा नं. 153 पर कतई कब्जा नहीं है इसलिए भी फैसला निरस्ती योग्य है। यह है कि रोही अमरपुरा जाटान की चकबन्दी सन् 2007 से हो गई है इस रकबा पत्थर गढ़ी भूप्रबन्धक विभाग द्वारा चकबन्दी बना करके जमाबन्दी आज से 10 साल पहले सम्वत् 2063 में लागू कर दी गई थी। सूची नं. 4 रोही अमरपुरा के खसरा नं. 153 में 109.00 बीघा रकबा था व उससे चकबन्दी से गांव अमरपुरा जाटान के 9 पत्थर नम्बरान में 111.00 बीघा रकबा पैमूद हुआ है। रकबा खसरो में सम्वत् 2063 के बाद बचता ही नही है जब खसरे ही नही रहे तो तहसीलदार खसरो में खातेदारी अधिकार देने का हकदार ही नही है। परन्तु अप्रार्थीगण ने बिना खसरो के दिनांक 19.04.2017 को रोही अमरपुरा के खसरा नं. 153 में खातेदारी लेकर तहसील सूरतगढ़ के चक अमरपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2063 के पत्थर नं. 57/382 के किला नं. 24, 25 0,506 हैक्. व पत्थर नं. 57/383 के किला नं. 4 ता 7, 14, 17, 24, 25 2.024 हैक. व पत्थर नं. 56/383 के किला नं. 1 ता 10, 14, 15, 18, 21, 22 3.795 हैक्. इस प्रकार कुल 6.325 हैक. खातेदारी रकबा अपने नाम दर्ज करवा लिया है जबकि आंवटन नियम 1970 में चकबन्दी में खातेदारी देने का अधिकार तहसीलदार को नही है परन्तु अप्रार्थीगण ने सरकार को धोखा देकर करोड़ो रुपये की भूमि हड़प ली है। नोरा पत्नी नत्थूराम का स्वर्गवास सन् 1995–96 में हो गया था व टी.सी. आवंटी भी माना जाता है तो उसके वारिसो को खातेदारी अधिकार नही मिल सकते। टी.सी. आंवटी के वारिसो को कभी टी.सी. आंवटन ही नहीं हुआ है। नोरा पत्नी नत्थूराम के पुत्र सुरजाराम का स्वगवास दिनांक 24.03.2003 को हो चुका है तथा सुरजाराम ने अपने जीवन काल में उक्त रकबा को नवीनीकरण भी नही करवाया व अब सुरजाराम के वारिसों ने मातहत न्यायालय से मिल जुल कर बिना नवीनीकरण व बिना टी.सी. आंवटन व बिना गैर खातेदारी काश्तकार की घोषणा करवाये व बिना आंवटन व बिना कब्जे व खसरो में रकबा न होते हूये भी खसरो में खातेदारी अधिकार प्राप्त कर [illegible] रुपये का रकबा अपने नाम खसरो में लेकर चकबन्दी के पत्थर नम्बरान [illegible] अपने नाम करवा लिया है जो काबिल निरस्ती के है। अप्रार्थी नं. 1 ता 4 ने दिनांक 19.04.2017 को रोही अमरपुरा के खसरा नं. 153 में खातेदारी अधिकार प्राप्त करके राजस्व रिकॉर्ड में इन्तकाल नं. 191 दिनांक 27.04.2017 को पत्थर नं. 57/382, 57/383, 56/383 का 6.325 हैक्. रकबा अपने नाम दर्ज करवाकर इस रकबा का बैचान दिनांक 01.05.2017 को केवल राजस्व पेपरों में बैचान कर दिया है। व अप्रार्थी संख्या 5 व 6 के नाम इंतकाल संख्या 192 दिनांक 08.05.2017 को दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2025.02.03 12:51:16 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

हो चुका है। इस प्रकार करोडो रूपये की भूमि दिनांक 19.04.2017 को गैर कानूनी तरीके से खातेदारी अधिकार प्राप्त कर बिना कब्जा ही बैचान कर दिया गया है। जेर प्रकरण रकबा आराजी राज है व इस रकबा को अप्रार्थीगण ने सही तथ्य छुपाकर सरकार को भारी नुकसान पहुंचाकर अपने नाम खातेदारी दर्ज करवा कर बेचान किया है। रकबा प्रार्थी के कब्जा काश्त में है व डीएलसी रेट से आवंटन करवाने का हकदार भी है। इसलिए भी आवंटन निरस्त योगय है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 2 ता 6, 8, 9 हाजिर आये तथा अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से पैरोकार राज उपस्थित आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थना पत्र मीमों एवं मेरी शिकायत को सिद्ध करने वाले दस्तावेजात ही मेरी बहस है।

वकील अप्रार्थी संख्या 2 ता 6, 8, 9 ने दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 की सास व 2 ता 4 की दादी के नोरा पत्नी नत्थुराम व पिता सुरजाराम के नाम से चक 38 पीबीएन में 50.00 बीघा नाली दोयम खातेदारी कृषि भूमि होने के संबंध में हमें कोई पूर्ण जानकारी नहीं है और स्वयं शिकायतकर्ता के द्वारा भी अपने इस शिकायत प्रार्थना पत्र के साथ ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य की प्रमाणित प्रति पेश नहीं की गई है। जिससे उसके यह कथन साबित होते है। अपार्थी संख्या 2 ता 4 की जानकारी के अनुसार नोरा का अपने पति रामकुमार के साथ सन् 1970 में संबंध विच्छेद/तलाक हो गया था। जो कि अपने बुजुर्ग रिश्तेदारों से सुना है। दोनों पति पत्नी अलग–अलग रहते थे। हमारी जानकारी के अनुसार नोरा के पास चक 38 पीबीएन के प०न० 56/377 में 7.10 बीघा और हमारे पिता सुरजाराम पुत्र नत्थुराम के नाम से केवल 4.10 बीघा ही भूमि थी। जिसकी जमाबन्दी व गिरदावरी की नकल सलंग्न जबाव प्रार्थना पत्र है। सुरजाराम पुत्र नत्थुराम के नाम से रोही अमरपुरा के खसरा नम्बर 151 में 6.06 बीघा व खसरा नम्बर 161/2 में 6.00 बीघा कुल 12.06 बीघा भूमि टी०सी से पुख्ता आवंटन करवाकर खातेदारी अधिकार प्राप्त करना रिकॉर्ड से संबंधित होने के कारण स्वीकार है। शिकायतकर्ता के द्वारा जानबूझकर आधे अधूरे तथ्य अंकित किये गये है। शिकायतकर्ता द्वारा न्यायालय को भ्रमित कर सही तथ्यों को जानबूझकर रिकार्ड के विपरीत अंकित कर अपने शिकायत प्रार्थना पत्र में अनुतोष प्राप्त करने की गर्ज से अंकित करवाये जाने प्रतीत होते है। अमरपुरा के खसरा संख्या 153 में 25.00 बीघा बारानी भूमि टी०सी. पर सम्वत् 2031 में वर्तमान में मृतक नोरा बेवा नत्थुराम जाति जाट के नाम से मुताबिक रिकॉर्ड आवंटन हुई थी। इसी को टी०सी० से पुख्ता आवंटन करवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था उस समय के तत्कालीन पटवारी हल्का से त्रुटिवश रिपोर्ट रिकॉर्ड के विपरीत हो जाने से खसरा नम्बर 239 में 25.00 बीघा के संबंध में आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ के द्वारा मि०न० 2810/2007 में दिनांक 07.09.2007 को निर्णय पारित कर दिया गया था। जिससे दिनांक 04.02.2008 को जानकारी में आते ही प्रार्थना पत्र बलवन्त वगैरहा के द्वारा पेश किये जाने पर दिनांक 27.03.2008 को निरस्त किया गया था। जो कि उक्त मिसल के अवलोकन से पूर्णतया साबित है। शिकायतकर्ता के द्वारा केवल मात्र आपसी रंजिशवश सही तथ्यों को माननीय न्यायालय से छिपाते हुये आधे अधूरे बिना दस्तावेजी साक्ष्य व प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत अंकित किये जाने के कारण अस्वीकार है। नोरा पत्नी नत्थुराम के नाम से टी०सी० पर आवंटन सम्वत् 2031 में होने का अंकन इसकी टी०सी० से पुख्ता आवंटन और खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने की पत्रावली में पटवारी हल्का, गिरदावर सर्किल की गई रिपोर्ट और तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा पारित निर्णय व पत्रावली में लगे रिकॉर्ड के अवलोकन से साबित है। शिकायतकर्ता के द्वारा नोरा के पति के नाम से 50.00 बीघा भूमि होने का कोई भी दस्तावेजी रिकॉर्ड पेश नही किया गया है। [illegible] मात्र कयास के आधार पर शिकायतकर्ता द्वारा अंकन किया गया है। जहाँ तक अमरपुरा के खसरा नम्बर 239 में आवंटन करवाने और इसे निरस्त करवाने और फिर खसरा नम्बर 153 पर अपना कब्जा बताकर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अंकन किया है इस संबंध में निवेदन है कि मुताबिक रिकॉर्ड आवंटन टी०सी० से पुख्ता आवंटन करवाने का खसरा नम्बर 153 का ही किया गया था। लेकिन पटवारी हल्का के द्वारा सहवन से अन्य पत्रावली की रिपोर्ट इस पत्रावली में कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2025.02.03 12:51:16 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

दी गई थी जिसकी जानकारी होते ही दिनांक 04.02.2008 को प्रार्थना पत्र बलवन्त वगै० के द्वारा पेश किये जाने पर आवंटन अधिकारी द्वारा टी०सी० से पुख्ता आवंटन के पारित आदेश को निरस्त किया गया था। जो कि पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन से साबित है। अमरपुरा में चकबन्दी की जाना स्वीकार है लेकिन यह उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर यानि डी कॉलोनी क्षेत्र में है। जिसमें खातेदारी अधिकार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ) भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 18 के अन्तर्गत राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प–9 (77) राज. 6/2008/15 दिनांक 31. 05. 2006 के द्वारा जोडे गये परन्तुक ॥ के तहत तहसीलदार को प्रदान करने का क्षेत्राधिकार प्रदत है। इन्ही अधिकारों का प्रयोग करते हुये खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है,जो कि पत्रावली का अवलोकन किये जाने से स्पष्ट है। चकबन्दी के दौरान खसरा नम्बर 153 की बनी सूची संख्या 4 व 8 के अनुसार नोरा का था वही रकबा रिकॉर्ड में अंकित हुआ है। यदि इसके विपरीत होता के स्वयं शिकायतकर्ता द्वारा इस शिकायत प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये जाते। जो कि जानबूझकर पेश नही किये गये है। टी०सी० भूमि के आवंटी की मृत्यू पश्चात उस भूमि की उनके वारिस आवंटन करवाने के अधिकारी होते है यह राज्य सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों और विधि में स्पष्ट प्रावधान किया हुआ है। टी०सी० भूमि का नवीनीकरण सन् 1995 के पश्चात स्वतः ही माने जाने के आदेश पारित किये हुये है इसलिये आवंटन स्वतः निरस्त होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। यह रकबा डी कॉलोनी क्षेत्र का है। जिसमें चकबन्दी होने पर आवंटी के वारिसों को उनके अधिकारों से बंचित करने का कोई प्रावधान नहीं है।प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य भूमि को खातेदारी अधिकार प्राप्त कर रिकॉर्ड में अंकन के पश्चात भूमि का बेचान किया जाना रिकॉर्ड से संबंधित होने के कारण स्वीकार है। बेचान की गई भूमि का कब्जा मौका पर अप्रार्थी संख्या 5 व 6 के द्वारा बैयनाम के रोज से विक्रेतागण से प्राप्त कर अप्रार्थी संख्या 5व 6 का ही चल रहा है। केवल मात्र पेपर आवंटी और कब्जा ना होना अंकित कर देने से किसी का आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। जबकि इस भूमि पर पूर्व में आवंटी का और उनकके पश्चात वारिसान का एवं विक्रय के पश्चात क्रेतागण का कब्जा चला आ रहा है। एक बार खातेदार अधिकार प्रदान किये जाने के पश्चात आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। यही सिद्वान्त माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर के द्वारा अपने न्याय निर्णयों में प्रतिपादित किया हुआ है। एक आवंटी के द्वारा खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये जाने के पश्चात आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। जिसके समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 1995 पेज 780, राजस्थान उच्च न्यायालय, आरबीजे 2001 पेज 125, आरबीजे 1999 पेज 412 की ओर ध्यान दिलाया। शिकायतकर्ता के द्वारा बदयन्ती पूर्वक यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है तभी उसके द्वारा भूमि उसके नाम से आवंटन किये जाने का निवेदन किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता नेकनियत नहीं है। शिकायतकर्ता स्वच्छ हाथों से उपस्थित नहीं हुआ है। इसलिये उसका प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 7 पैरोकार राज ने दौराने बहस राज्यहित को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया। उक्त रकबा अप्रार्थीगण सरबती, बलवंत, राजाराम, कालूराम को तथ्य छुपाकर टीसी आवंटन होने एवं खातेदारी होने संबंधी कोई साक्ष्य प्रार्थी द्वारा पेश नही किये गये है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन पाये जाने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से निरस्त किया जाता है तथा हस्तगत पत्रावली की आदेशिका दिनांक 10.08.2017 द्वारा जारी स्थगन आदेश भी निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरतगढ़ को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2025.02.03 12:51:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner